राजस्व अपील संख्या : 8/2022
उनवान : दिनेश व अन्य बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 8/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2022/5

अपीलाण्ट्स :–		रेस्पोडेण्ट्स :–
1. दिनेश पुत्र भैराजी 2. भगाराम पुत्र भैराजी 3. लक्ष्मण पुत्र भैराजी समस्त जातिगण राईका निवासीगण टीपरी, तहसील बाली जिला पाली राज.	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध मौजा टीपरी, पटवार हल्का, कोटबालियान के नामान्तरकरण संख्या 518 दिनांक 15.06.2022 जो तहसीलदार बाली द्वारा खारिज किया गया को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता सखाराम देवासी।

–:निर्णय:–

दिनांक: 12.08.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **मौजा टीपरी, पटवार हल्का, कोटबालियान तहसील बाली के नामान्तरकरण संख्या 518 दिनांक 15.06.2022 जो तहसीलदार बाली द्वारा खारिज किया गया को निरस्त करवाने बाबत** पेश की। अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट्स एवं उनके पिताजी के खातेदारी काश्त व कब्जाशुदा कृषि भूमि ग्राम टीपरी के हाल खसरा नम्बर 372 व 375 स्थित है, उपरोक्त कृषि भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 42,43, 44 थे, जो भूमि अपीलाण्ट के दादा फताह पुत्र सुरतींगजी के खातेदारी की थी, लेकिन पूर्व सेटलमेंट के दौरान गलत रुप से नाम हटाकर सरकारी जमीन दर्ज कर दी, जिसके विरुद्ध अपीलाण्ट्स के पिता और अपीलाण्ट्स ने सहायक कलेक्टर बाली के न्यायालय में वाद पेश किया था, जो वाद खारिज होने पर उसकी प्रथम अपील संख्या 55/2016 राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय में पेश की गई, जो दिनांक 05.03.2020 को स्वीकार की गई और माफिक निर्णय व डिक्री अपीलाण्ट को ग्राम टीपरी के गत खसरा नम्बर 42,43,44 हाल खसरा नम्बर 374 रकबा 0.05 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 375 रकबा 0.58 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया एवं अपीलाण्ट के कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग में रेस्पोडेण्ट द्वारा कोई दखल नहीं किये जाने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा की

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 8/2022
उनवान : दिनेश व अन्य बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

डिक्री पारित की गई, साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त निर्णय व डिक्री का अमलदरामद किये जाने बाबत् भी निर्णय पारित किया गया। निर्णय की प्रति साथ पेश है।

उपरोक्त निर्णय को करीब 27 माह से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन रेस्पोडेण्ट द्वारा उपरोक्त निर्णय व डिक्री की पालना नहीं की गई। अपीलाण्ट्स की ओर से अनेकानेक बार आवेदन मय निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति पेश कर अमलदरामद किये जाने हेतु निवेदन किया, जिस पर रेस्पोडेण्ट के आदेश दिनांक 13.04.2022 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण दायर किया गया एवं जांच भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई, जिसमें गलत तथ्य अंकित किये गए और उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकपक्षीय रुप से केवल राज्य हित प्रभावित होने का आधार बनाकर जैर अपील नामान्तरकरण को खारिज कर दिया, जो अवैध होने से अपास्त योग्य है।

यह कि, अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना करने का भूमिधारी का दायित्व होता है। उपरोक्त निर्णय व डिक्री सरकारी पैरोकार की उपस्थिति में 27 माह पहले पारित किये गये, जिसकी जानकारी तत्समय से ही रेस्पोडेण्ट को रही है और निर्णय व डिक्री की प्रति पेश कर अमलदरामद करने हेतु निर्णय होते ही अपीलाण्ट्स ने आवेदन पेश किया, लेकिन जानबुझकर साल तक अमलदरामद हेतु कोई कार्यवाही रेस्पोडेण्ट द्वारा नहीं की गई, न ही उपरोक्त निर्णय की अपील की गई, ऐसी स्थिति में अपील किये जाने के अधिकार अवधि बाधित हो चुके है। जानबुझकर अदृश्य कारणों से बिना अपीलाण्ट्स को सूचना दिये, बिना अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जैर अपील नामान्तरकरण को खारिज कर दिया, जो अवैध है भूमिधारी निर्णय व डिक्री की पालना करने हेतु विधिक रुप से कर्तव्य बाधित है, लेकिन अदृश्य कारणो से अपने कर्तव्य की पालना नहीं की जा रही है।

यह भी कि, अपीलाण्ट्स निर्णय व डिक्री की भूमि पर बतौर खातेदार मौके पर काबिज है, उपयोग, उपभोग कर रहे है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में भूमि भू–प्रबंधक विभाग द्वारा गलत रुप से सिवाय चक दर्ज कर दी है, इस कारण से अपीलाण्ट्स की ओर से वाद पेश किया गया है जो विधिक रुप से स्वीकार कर डिक्री किया गया। उपरोक्त डिक्री की पालना नहीं कर रेस्पोडेण्ट ने जानबूझकर न्यायालय की अवमानना की है और अवमानना लगातार की जा रही है, जिसके लिए अलग से सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जाएगी। अतः अपील स्वीकार फरमावें तथा अपीलाधीन आदेश बाबत् म्यूटेशन अस्वीकृत करने बाबत निरस्त किये जाने का आदेश पारित फरमावें।

प्रकरण दर्ज कर रेस्पोडेण्ट को जरिए सम्मन तलब किया गया। आलोच्य आदेश दिनांक 15.06.2022 की मूल प्रति तलब की जाकर शामिल मिसल की गई।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने वक़्त बहस निवेदन किया कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, पाली के निर्णय दिनांक 05.03.2020 द्वारा विवादग्रस्त आराजी में अपीलार्थीगण को

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 8/2022
उनवान : दिनेश व अन्य बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

खातेदार घोषित किया गया था, किन्तु तहसीलदार द्वारा उपरोक्त निर्णय की अनुपालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 518 दिनांक 25.04.2022 को 'राज्य हित' प्रभावित होने का कथन कर अस्वीकार कर दिया गया। यह भी, कि रेस्पोडेण्ट तहसीलदार बाली द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील भी प्रस्तुत नहीं की गई और बिना किसी वैध आधार के आलोच्य निर्णय पारित किया गया, जो काबिल खारिज है।

रेस्पोडेण्ट तहसीलदार बाली द्वारा वक्त बहस यह निवेदन किया गया कि विवादग्रस्त आराजी वर्तमान में सरकारी भूमि है एवं उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गांवाई पिचका के रुप में दर्ज है जिसका ग्रामवासियो द्वारा पेयजल हेतु उपयोग उपभोग किया जाता है। हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जाए।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीगण द्वारा विवादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 374 एवं 375 मौजा टीपरी पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 55/2016 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 05.03.2020 के आधार पर स्वयं का हक हकूक बताया गया है। अपीलार्थीगण का तर्क है कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त निर्णय दिनांक 05.03.2020 द्वारा अपीलार्थीगण को विवादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया गया एवं उक्त निर्णय की अनुपालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 518 दिनांक 25.04.2022 को बिना किसी वैध अधिकार के एवं मात्र भू–अभिलेख निरीक्षक की अवैधानिक टिप्पणी को आधार बनाते हुए तहसीलदार द्वारा दिनांक 15.06.2022 को अस्वीकार कर दिया गया, किन्तु अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 55/2016 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 05.03.2020 की प्रमाणित प्रति न तो अपील मीमों के सलंग्न और न ही सुनवाई के किसी भी स्तर पर आदिनांक प्रस्तुत की गई है। यहाँ तक कि अपीलार्थीगण द्वारा विवादग्रस्त आराजी की वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अर्थात् जमाबंदी तक पेश नही की गई है। स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 56 A तथा राजस्व कोर्ट मैन्युअल के पार्ट 'C' में अंकित प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के मूल निर्णय की प्रति भी पेश नहीं की गई है, जिसके विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली में अपील प्रस्तुत की गई थी।

यहाँ यह उल्लेख करना भी समीचीन है कि अपीलाण्ट ने अपील मीमो के पैरा 3 में यह अंकन किया है कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पाली के पूर्वोक्त निर्णय दिनांक 05.03.2020 की रेस्पोडेण्ट तहसीलदार बाली द्वारा अपील नहीं की गई है और अपील किये जाने के अधिकार अवधि बाधित हो चुके है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपील अथवा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को प्रमाणित सिद्ध कराने का दायित्व अपीलार्थी या प्रार्थी पर ही अधिरोपित

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

होता है। किन्तु अपीलाण्ट अपील मीमों के पैराग्राफ संख्या तीन में अंकित तथ्यों की पुष्टि हेतु कोई भी दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश करने में असफल रहे है, जिसके आधार पर ऐसी उपधारणा की जा सके।

मूल नामान्तरकरण परत से यह जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 374 गांवाई पिचका मुख्यान के रुप में दर्ज है। किन्तु अपीलार्थीगण द्वारा इस सम्बन्ध में उपयुक्त पक्षकारों को संयोजित किये विना मात्र तहसीलदार के विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

उपरोक्त विश्लेषण एवं वजूहातो के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थीगण हस्तगत अपील के संलग्न पर्याप्त एवं ठोस दस्तावेज पेश करने में असफल रहे है, जिनके आधार पर हस्तगत अपील स्वीकार की जा सके।

अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली, जिला-पाली
बाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)